

उत्तार प्रदेश शासन,

नगांगि गंगे तथा गार्भीण जलपूर्ति अनुग्रह- 1  
राख्या:-160 / छिह्नतार-1-2020-2 स्वजल / 2011  
हाथानऊँ दिवौक 22 जानवरी, 2020

~~2900~~

कार्यलय झाप

भारत सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत जारी दिशा-निर्देशों के काग में प्रदेश में ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु तत्कालीन ग्राम्य विकास अनुभाग-5 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1161/अड्डीसी-5-12-02 रबजल 2011, दिनांक 12.10.2012 द्वारा 'राज्य पेयजल एवं स्वच्छता गिराव' का गठन किया गया था। रामप्रति पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शवित गंगालय, भारत सरकार द्वारा 'जल जीवन गिराव' कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है। इस हेतु जारी दिशा-निर्देश के अनुरार प्रदेश में ग्रामीण पाइप पेयजल कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 12.10.2012 को सशोधित करते हुए गुरुव्य रात्रिव, उत्तर प्रदेश शासन वी अध्यक्षता में 'राज्य पेयजल एवं स्वच्छता गिराव' की एपेक्षा कमेटी (शीर्ष समिति) को एतदद्वारा गठन किया जाता है:-

1.	भुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।	अध्यादा
2.	अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, ग्राम्य विकास विभाग।	सदरस्य
3.	अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, पंचायती राज विभाग।	सदरस्य
4.	अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, वैरोंक शिक्षा विभाग।	सदरस्य
5.	अपर गुरुख्य सचिव / प्रगुरुख सचिव / सचिव, रत्नारथ्य विभाग।	सदरस्य
6.	अपर भुख्य सचिव / प्रभुख सचिव / सचिव, वित्त विभाग।	सदरस्य
7.	अपर गुरुख्य सचिव / प्रगुरुख सचिव / सचिव, नियोजन विभाग।	सदरस्य
8.	अपर गुख्य सचिव / प्रगुख सचिव / सचिव, सूचना। एव जनगणन्यक विभाग।	सदरस्य
9.	भारत रारकार का एक प्रतिनिधि।	सदरस्य
10.	तीन विशेषज्ञ / प्रतिलिपि व्यक्ति, जो अध्यक्ष के अनुमोदन से निम्नलिखित क्षेत्र के नागित होंगे:- <ul style="list-style-type: none"> <li>• ग्रामीण जलापूर्ति</li> <li>• लोक सेवा</li> <li>• प्राकृतिक रांगाधन प्रबंधन</li> <li>• सामुदायिक विकास</li> </ul>	सदरस्य
11.	अपर गुख्य सचिव / प्रगुख सचिव / सचिव, नगरपालिंगंगे तथा ग्रामीण, जलापूर्ति विभाग	सदरस्य साधिव

2— “जल जीवन मिशन” के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा जारी माझे साइंग के अनुसार उपरोक्तानुसार गठित एपेक्षा कमेटी के कार्य एवं दायित्व भिन्नभूत होंगे :—

- (1) नीतिगत मार्ग निर्देश देना तथा समग्र नियोजन, रणनीति तथा प्रदेश में 'जल जीवन निशन' के क्षियान्वयन हेतु उत्तरदायी।
  - (2) वर्ष 2024 तक प्रदेश के समरत ग्रामीण परिवारों को एक०८८०१ी०८१० प्रदान करने के लिए राज्य कार्य योजना (एस०८८०पी०) को अंतिम रूप देने के लिए उत्तरदायी।
  - (3) ग्रामीण परिवारों को एक०८८०१ी०८१० प्रदान करने हेतु इलूक दाय करना।
  - (4) अन सेवा के मार्ग करना।

B2C410N1000

- (3) विभाग / राष्ट्रीय विभाग द्वारा वर्तमान राज्य वार्षिक योजना (एस0ए०वी०) का अप्रेज़िल और सैद्धांतिक अनुमोदन करना।
- (6) वित्तीय योजना के लिए उत्तरदायी, जिसमें कड़ का राज्य उपयोग तथा कड़ की परिवर्ती न पिल्या जाना समिलित हो, वो सुनिश्चित करना।
- (7) कर्नेलेन्ट हेतु विभिन्न विभागों और अन्य एजेंसियों के मध्य रामबद्ध के लिए उत्तरदायी।
- (8) गांधी के बुधियारी ढांचे के प्रबोधन के लिए ग्राम पंचायत / उप-सभिति को यशक्त करने वाली शक्तियों को प्रदला किये जाने हेतु उत्तरदायी।
- (9) इंट्रा-डिश्ट्रिक्ट तथा इन-विलेज इन्फ्रास्ट्रक्चर वाटर सालाई रकीमों की प्रशासनिक स्वीकृति के लिए जिला पेयजल एवं रखच्छा विभान को भूतियों प्रदत्त करना।
- (10) एकल नोडल खाते के संचालन वी प्रविधि विधायित करना।
- (11) जल के दुरुपयोग को रोकने के साथ साथ बल्क वाटर, वितरण प्रणाली और घरेलू स्तर की आपूर्ति पर आवत्ती व्यव को कम किये जाने के उद्देश्य से उपयुक्त प्रोत्तराहन / हातोत्त्याहन प्रविधि विकसित किया जाना।
- (12) भूजल के विभिन्न उपयोगों हेतु नीति निर्धारण करना।
- (13) वार्षिक पुनर्जीवी भूमध्य जल के विभिन्न उपयोगों के रांबंध में एक समान नीति लागू करना।
- (14) जल के आवंटन हेतु उत्तरदायी।
- (15) फोल्ड ट्रेट किट द्वारा जल की गुणवत्ता परीक्षण व निगरानी सुनिश्चित किये जाने हेतु रामर्पित भानव संरासन आवश्यक विन्ये जाने हेतु नीति निर्धारण।
- (16) विभिन्न प्रकार के अनुबंधों, विशेष रूप से दक्षात्मक प्रावधानों वाले अनुवाचों, हेतु T0R को अतिम लप देना।
- (17) योजनाओं के वित्तीय स्थायित्व हेतु संचालन एवं अनुरक्षण रणनीति तथा गारिक ईरिक / यूजर चार्जेज निर्धारित करना।
- (18) सपेट फण्ड से आई.ई.सी / बी.री.सी. गतिविधियों हेतु धनराशि मात्राकृत किये जाने हेतु नीति निर्धारण।
- (19) जल / राजरव की निरन्तर हानि रोकने हेतु अनाधिकृत / अनभीटड़ / अनकाउटेड जल रखेजनों पर कार्रवाई हेतु निर्णय।

अनुराग श्रीवास्तव  
प्रभुराम राधिक

संख्या- 190 (1) / छिह्नतार 1-2020-2 स्वजल / 2011, तददिनांक प्रतिलिपि विभागिता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित:-

- (1) प्रधान निजी सचिव, गा० जल शक्ति मंत्री जी उत्तर प्रदेश।
- (2) निजी सचिव, मुख्य राधिक, उत्तर प्रदेश शासन।
- (3) सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- (4) अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / राधिक वित्त / नियोजन / पंचायतीराज / वेरिंक शिक्षण विभाग / रावारथ्य विभाग / सूचना एवं जगत्सागर विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- (5) निजी सचिव, प्रगुञ्ज सचिव, नामामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- (6) आयुक्त, भाष्य विकास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- (7) रापरत मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
- (8) प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
- (9) अधिकारी निदेशक, राज्य पेयजल एवं रखच्छा विभान, लखनऊ।
- (10) समरत जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- (11) गार्ड फाइल।

आज्ञा दी  
(ठा० अमरीष कुगार रिह)  
अनु राधिक